भारत का उद्योग क्षेत्र

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंतरविषयी, अंतरक्षेत्रीय, बहुक्षेत्राधिकारीय और विस्तृत नीतिगत फ्रेमवर्क स्थापित किया है। यह नीति पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का पूरक है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य समेकित अवसंरचना विकास है, तो एनएलपी का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सुचारू बना कर और समुचित प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए लॉजिस्टिक्स सेवाओं और मानव संसाधनों में कार्यकुशलता लाना है।

लॉजिस्टिक्स की कार्यकुशलता बढ़ाने और खर्च घटाने तथा देश में अंतरविभागीय विभाजनों को तोड़ने के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि विभिन्न एजेंसियों के योजना निर्माण और अवसंरचना विकास के प्रयासों को एकीकृत किया जाए। वर्ष 2021 में शुरू की गई पीएम गतिशक्ति इसी दिशा में एक कदम है। इसमें समग्र शासन के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। एकीकरण, तालमेल, प्राथमिकता निर्धारण और अधिकतम परिणाम को हासिल करने के लिए इसके दो पहलू हैं। इनमें से पहला भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का विकास है। इसके तहत सड़कों से लेकर रेलवे, विमानन, कृषि, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तक को जोड़ा जा रहा है। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर विभाग को सही और सटीक सूचना समय पर उपलब्ध हो। दूसरा पहलू तीन स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की स्थापना के जरिए बहुविध अवसंरचना और आर्थिक क्षेत्र के तालमेल के साथ विकास के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों को एकजुट करने के उद्देश्य से प्रशासनिक व्यवस्था करना है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022 में शुरू की गई थी। यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंत:विषय, क्रॉस-सेक्टोरल, बहु-क्षेत्राधिकार और व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करती है। यह नीति पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

की पूरक है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की परिकल्पना प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नियामक ढांचे, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक्स को मुख्यधारा में लाने और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाकर लॉजिस्टिक्स सेवाओं और मानव संसाधनों में दक्षता लाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य त्वरित और समावेशी विकास के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, संपूर्ण, कम लागत वाला, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर नीति तैयार करने वाला मुख्य विभाग है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित धन के आधार पर, भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डेटा का रखरखाव और प्रबंधन भी करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने की दृष्टि से, एक उदार नीति लागू की गई है जिसमें स्वचालित मार्ग के तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। जून 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने के बाद, एफडीआई की मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिसमें मौजूदा एफडीआई नीति और फेमा के तहत एफडीआई के लिए आवेदनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उस पर सरकार की मंजूरी से संबंधित कार्य अब संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दायर किए गए आवेदनों की मंजूरी की सुविधा के लिए विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफ) का प्रबंधन और संचालन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, अगस्त 2022 से, एफआईएफ पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत किया गया है और सरकारी मंजूरी की आवश्यकता वाले एफडीआई प्रस्ताव एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाते हैं।

Website : www.nsws.gov.in

मेक इन इंडिया

'मेक इन इंडिया' पहल 2014 में निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह अनूठी पहल 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों में से एक है, जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया भर में बढ़ावा दिया। यह विचार मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का है। इस पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि वाणिज्य विभाग 27 सेवा क्षेत्र की योजनाओं का समन्वय करता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और देश में घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों

में भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश संबंधी गतिविधियां की जाती हैं।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई योजना)

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाओं की घोषणा की गई। इससे, अगले 5 वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि की उम्मीद है। पीएलआई योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना हैं ताकि वे वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर सकें और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के अनुकूल बन सकें।

स्टार्टअप इंडिया

'स्टार्टअप इंडिया' पहल 2016 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य नए स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह पहल उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए तीन प्रमुख स्तंभों यानी (क) सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग, (ख) वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन, और (ग) उद्योग-अकादमिक साझेदारी और बिजनेस इन्क्यूबेशन में मदद उपलब्ध कराती है। इस पहल की शुरुआत के बाद से, मौजूदा नीति पारिस्थितिकी तंत्र में कई रणनीतिक संशोधन पेश किए गए हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 15 मई 2023 तक, 674 जिलों में 57 क्षेत्रों में कुल 99,371 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। 2016 से देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक स्टार्टअप ने 10.49 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की। इस योजना का उद्देश्य नवाचार-संचालित उद्यमिता में तेजी लाना और स्टार्टअप के लिए बड़े स्तर पर इक्विटी जुटाना जैसे संसाधन शामिल है। एफएफएस सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है जो बदले में इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड उपकरणों के माध्यम से बढ़ते भारतीय स्टार्टअप्स में पैसा निवेश करते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 945 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) भी बनाई है। यह योजना स्टार्टअप की अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में 300 इनक्यूबेटरों के माध्यम से लगभग 3,600 उद्यमियों को सहायता दी जाएगी।

भारी उद्योग

भारी उद्योग मंत्रालय ऑटोमोबाइल, पूंजीगत सामान और भारी विद्युत उपकरण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करता है और विनिर्माण, परामर्श और अनुबंध सेवाओं और चार स्वायत्त संगठनों में लगे 29 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) का प्रबंधन करता है। 2021 में, सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। भारी उद्योग मंत्रालय के प्रमुख क्षेत्रों में से एक उद्देश्य घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और नागरिकों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, टिकाऊ और किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है ताकि देश में गतिशीलता के परिदृश्य को बदला जा सके। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और इलेक्ट्रिक बसों जैसे वैकल्पिक समाधान पारंपरिक ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल परिवहन प्रणाली के इस्तेमाल को कम करने में मदद करेंगे और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ, उन्नत और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आधारित प्रणालियों के उपयोग को सक्षम बनाएंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में परिवर्तन से विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी, तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, वायु प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण स्वच्छ होगा। भारी विद्युत उपकरण उद्योग ऊर्जा क्षेत्र और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। बॉयलर, टर्बो जनरेटर, टर्बाइन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, रिले और संबंधित सहायक उपकरण जैसे प्रमुख उपकरण इस उद्योग के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। यह उद्योग देश के बिजली क्षमता वृद्धि कार्यक्रम से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसलिए, बाजार का रुझान भारत में बिजली क्षेत्र की आवश्यकता से प्रेरित है। प्रमुख बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल) भारी विद्युत उपकरण उद्योग को आपूर्ति करने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र है।

Website : www.heavyindustries.gov.in

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले सात दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र बनकर उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सकता है और देश में राष्ट्रीय आय और धन का समान वितरण सुनिश्चित

होता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नए उद्यमों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है और साथ ही मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से खादी, ग्रामीण और कॉयर उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत क्षेत्र की कल्पना करता है। एमएसएमई के प्रचार और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालांकि, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती है। राज्यों में उद्यमशीलता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के प्रयासों में सहायता करने में मंत्रालय और उसके संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उद्यमियों की सुविधा के लिए दिशानिर्देशों के साथ, विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए 2020 में एक नया वर्गीकरण अधिसूचित किया गया था। समग्र मानदंड ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच अंतर को हटा दिया, इसके अलावा पहले के मानदंड में टर्नओवर का एक नया मानदंड जोड़ा जो केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर आधारित था। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप एमएसएमई को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: (ए) एक सूक्ष्म उद्यम वह हैं जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; (बी) लघु उद्यम वह है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; और (सी) एक मध्यम उद्यम वह है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। एमएसएमई मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने के लिए जनवरी, 2023 में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र

भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, छह करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ, अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27 प्रतिशत और भारत के निर्यात में लगभग 44 प्रतिशत और योगदान देने के साथ साथ 11.10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र ही ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने दायरे का विस्तार करने के साथ साथ, घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक प्रगतिशील एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को साकार किया जा सके।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल

एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के अनुसार एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने जुलाई, 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (www.udyamregistration.gov.in/) प्रारम्भ किया। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क, कागज रहित और डिजिटल है। यह पोर्टल को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), आयकर, जीएसटी, टीआरईडी और एनसीएस (नेशनल करियर सर्विस) पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। सरकार ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य जीएसटीआईएन रखने से छूट प्रदान की है।

Website : www.msme.gov.in

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई थी, और 1987 और 2006 में संशोधित, यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने का कार्य कर रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। केवीआईसी की ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति निवेश पर संवहनीय गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए विकेंद्रीकृत क्षेत्र में एक बड़े संगठन के रूप में पहचान की गई है।

Website : www.kvic.gov.in

कपड़ा

कच्चे माल के विशाल भंडार और मूल्यशृंखला में उत्पादन क्षमता के साथ भारतीय कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। इस उद्योग की विशिष्टता है कि इसमें हाथ से बुने हुए कपड़ों के और बड़ी पूंजी के साथ मिल से बने कपड़ों दोनों में ही भारतीय कपड़ा उद्योग की ताकत निहित है। यह 50 मिलियन से अधिक स्पिंडल और 8,42,000 रोटर्स की स्थापित क्षमता वाला 3,400 कपड़ा मिलों वाला दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा मिल क्षेत्र है। हथकरघा, हस्तशिल्प और छोटे पैमाने की पावरलूम इकाइयों जैसे पारंपरिक क्षेत्र ग्रामीण

और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत हैं। कपड़ा उद्योग का देश की कृषि, संस्कृति और परंपराओं के साथ गहरा संबंध है, जो घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए उनकी मांग के अनुरूप बहुमुखी उत्पादों का उत्पादन करता है। मूल्य के संदर्भ में भारतीय कपड़ा उद्योग कुल उद्योग उत्पादन में 7 प्रतिशत और भारत के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में 2 प्रतिशत और देश की निर्यात आय में 15 प्रतिशत योगदान देता है। 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देने के साथ ही, यह उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

Website : www.texmin.nic.in

इस्पात

इस्पात मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग के विकास और योजनाएं तैयार करने का कार्य करता है। मंत्रालय लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो-मिश्र धातु, स्पंज आयरन आदि जैसे आवश्यक धातुओं के विकास और अन्य संबंधित कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है। 2013-14 से कच्चे इस्पात के उत्पादन और क्षमता में निरंतर वृद्धि देखी गई है। यह उद्योग देश में औद्योगिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। मौजूदा समय में भारत की कच्चे इस्पात की क्षमता तेजी से बढ़कर 142 मीट्रिक टन हो गई है, जिसके बाद भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता भी लगातार बढ़कर 161.30 मीट्रिक टन हो गई है। तेजी से बढ़ता हुआ घरेलू इस्पात उद्योग विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसका निर्माण क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, मोटर वाहन, पूंजीगत सामान, रक्षा, रेल इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है।

Website : www.steel.gov.in

उर्वरक

उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दायरे में आता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना है ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन हो सके। विभाग के मुख्य कार्यों में उर्वरक उद्योग की योजना, प्रचार और विकास, उत्पादन की योजना और निगरानी, उर्वरकों का आयात और वितरण तथा स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी/रियायत के माध्यम से वित्तीय सहायता का प्रबंधन शामिल है।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) विभाग के अधीन कार्य करता है। यह उर्वरक विभाग के अंतर्गत 9 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) का प्रबंधन भी करता है। विभाग ने उर्वरक क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इनका उद्देश्य उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।

Website: www.fert.nic.in

रसायन और पेट्रो-रसायन

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अधीन था, फिर इसे पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन लाया गया। 1991 में, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग को रसायन और उर्वरक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस विभाग को रसायन, पेट्रो-रसायन और फार्मास्युटिकल उद्योग क्षेत्र की योजना, विकास और नियमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, विशेष रूप से अन्य विभागों को आवंटित किए गए को छोड़कर; कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रशासन को छोड़कर कीटनाशक; सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को आवंटित नहीं किए गए हैं; पेट्रोकेमिकल्स; सिंथेटिक रबर के उत्पादन से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण और उन्हें सहायता देने का काम शामिल हैं।

Website : www.chemicals.nic.in

औषधि विभाग (फार्मास्यूटिकल्स)

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। 2022-2023 के लिए फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का कुल वार्षिक कारोबार 3,79,450 करोड़ रुपये है। पिछले नौ वर्षों में, यह क्षेत्र 6.4 प्रतिशत की सीएजीआर (कुल फार्मा निर्यात के अनुसार) के साथ लगातार बढ़ रहा है। फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का कुल निर्यात 1,94,254 करोड़ रुपये का है और 2022-23 के लिए (थोक दवाओं, दवा मध्यवर्ती, दवा फॉर्मूलेशन, जैविक के लिए) फार्मास्यूटिकल्स का कुल आयात 56,391 करोड़ रुपये का है।

Website : www.pharamaceuticals.gov.in

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), देश का प्रमुख पृथ्वी विज्ञान संगठन है। यह सरकार को उद्योग और भूवैज्ञानिक क्षेत्र के लिए बुनियादी पृथ्वी विज्ञान सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराता है। जीएसआई ने 1851 में मुख्य रूप से कोयले के अनुसंधान में लगे एक विभाग के रूप में शुरुआत की थी। इस विभाग ने पिछले 163 वर्षों में अपनी गतिविधियों का कई गुना विस्तार किया है और यह राष्ट्र निर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है। स्वतंत्रता के बाद के युग में अभूतपूर्व रूप से बढ़े इस्पात, कोयला, धातु, सीमेंट और बिजली जैसे उद्योग राष्ट्रीय विकास में जीएसआई के योगदान की स्पष्ट गवाही देते हैं।

जीएसआई अब पिछली डेढ़ सदी में विकसित सबसे बड़े और सबसे व्यापक पृथ्वी विज्ञान डेटाबेस में से एक का संरक्षक है। जमीनी, समुद्री और हवाई सर्वेक्षणों के माध्यम से राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और ज्ञान आधार का निर्माण और अद्यतनीकरण और उनका प्रसार जीएसआई के प्राथमिक लक्ष्य हैं। जीएसआई के वर्तमान गतिविधियों में सतह मानचित्रण; हवाई और सुदूर संवेदन सर्वेक्षण; अपतटीय सर्वेक्षण; खनिज और ऊर्जा संसाधनों की खोज; इंजीनियरिंग भूविज्ञान; भू-तकनीकी जांच; भू-पर्यावरणीय अध्ययन; जल संसाधनों का भूविज्ञान; भू-खतरा अध्ययन; अनुसंधान और विकास; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; और सूचना सेवाएं आदि शामिल हैं। 1:50,000 पैमाने पर आधारभूत भूवैज्ञानिक डेटा लगभग पूरे देश के लिए मौजूद है; भू-रासायनिक और भूभौतिकीय विषयों पर समान डेटा उत्पन्न करने के प्रयास जारी हैं। सार्वजनिक भूविज्ञान में अन्य गतिविधियों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन और संवर्द्धन पर अब प्रमुख जोर देने वाला क्षेत्र बन गया है। जीएसआई के दो अन्य प्रमुख कार्य भूविज्ञान ज्ञान का प्रसार और क्षमता निर्माण करना है। जीएसआई एक क्षेत्र मिशन हाइब्रिड मैट्रिक्स के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें छह भौगोलिक रूप से वितरित क्षेत्र (मध्य, पूर्वी, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी) हैं जो प्रशासनिक कार्यक्षेत्रों और पांच मिशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन क्षेत्रों में खास जोर दिया जाना है, यह उनका प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न गतिविधियों को नामित करते हैं।

Website : www.gsi.gov.in

भारतीय खान ब्यूरो

मार्च 1948 में स्थापित भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों और लघु खनिजों के अलावा अन्य खनिज संसाधनों के संरक्षण और व्यवस्थित दोहन के लिए वैधानिक और विकासात्मक जिम्मेदारियों के साथ खान मंत्रालय के अधीन एक बहु-विषयक वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन है।

भारतीय खान ब्यूरो 2015 में संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के प्रवर्तन के तहत बनाए गए नियमों; खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016; और अन्य नए नियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत नियामक कार्य करता है। यह लाभकारी अयस्क और पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन और खनन भूवैज्ञानिक के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक, तकनीकी-आर्थिक, अनुसंधान का अध्ययन करता है। खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) हैं। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) खनन और खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रही है, और सार्वजनिक क्षेत्र की तीसरी इकाई मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमइसीएल) खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में काम कर रही है।

Website : www.ibm.gov.in ❑

स्रोत: (भारत वार्षिकी)